दिनांक 06.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 08/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–फर्जी वेबसाइट के माध्यम से कूटरचित जाति, आय, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर आधार कार्ड बनाने वाले अधिकृत आपरेटर के माध्यम से फर्जी एवं कूटरचित आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के 02 सदस्य जनपद–अलीगढ़ से गिरफ्तार।

दिनांक 06–11–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को फर्जी वेबसाइट के माध्यम से कूटरचित जाति, आय, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर आधार कार्ड बनाने वाले अधिकृत आपरेटर के माध्यम से फर्जी एवं कूटरचित आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के 02 सदस्य जनपद–अलीगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम–

1– साजिद हुसेन पुत्र सलीम अहमद निवासी गली नं0 12 जीवनगढ़ थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

2– नईमुद्दीन पुत्र फईमुद्दीन निवासी गली नं0 12 जीवनगढ़ थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

बरामदगी–

1– 88 अदद कूटरचित आधार कार्ड।
2– 02 अदद फिंगर प्रिन्ट स्कैनर।
3– 03 अदद आईरिस स्कैनर।
4– 05 अदद फर्जी मोहर।
5– 04 अदद लैपटाप।
6– 01 अदद डेस्कटॉप सहवर्ती उपकरण सहित।
7– 03 अदद प्रिन्टर।
8– 03–03 अदद माउस, की–बोर्ड।
9– 02 अदद मोबाइल फोन।
10– 2300/–रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान व समय–

जीवनगढ़ गली नं0 12, थाना क्षेत्र क्वार्सी, जनपद अलीगढ़। दिनांक 05–11–2025

विगत कुछ महीनों से आधार कार्ड बनाने वाले अधिकृत साफ्टवेयर को अनाधिकृत कम्प्यूटर सिस्टम पर रिमोट एक्सेस लेकर फर्जी आधार कार्ड, जाति, आय, निवास, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, बनाने वाले ऐसे गिरोहों के बारे में सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाइयों को अभिसूचना संकलन व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री प्रमेष कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 चन्द्र प्रकाष मिश्र, उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी, उ0नि0 सौरभ मिश्रा, मु0आ0 मुनेन्द्र सिंह, वीर प्रताप, यषवन्त सिंह, अजीत कुमार सिंह, महेष पाण्डेय, नीरज सिंह, कमा0 राज कुमार यादव चालक राकेष मिश्र एवं सर्वेष यादव की टीम जनपद अलीगढ़ में भ्रमणषील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि जीवनगढ़ गली नं0 12, थाना क्षेत्र क्वार्सी, जनपद अलीगढ़ में अवैध रूप से फर्जी आधार कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र बनाने का काम किया जा रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से कुछ जनसुविधा केन्द्रों में छापा मारकर उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में अभियुक्त साजिद ने बताया कि वह आधार कार्ड बनाने वाली टेक स्मार्ट कम्पनी में वर्ष–2016–17 बतौर आपरेटर का काम करता था। वर्ष–2020 के बाद बैंक व पोस्ट आफिस के माध्यम से आधार कार्ड बनाये जाने के कारण उसकी कम्पनी का काम खत्म हो गया तो स्वयं का जन सूविधा केन्द्र खोलकर जिलाधिकारी कार्यालय के अनुमति से जाति, निवास, आय, जन्म, मृत्यु आदि प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्रों की डेटा फीडिंग का काम करने लगा। इसी दौरान गुजरात में डिपार्टमेन्ट आफ वीमेन एण्ड चाइल्ड डेवलेपमेण्ट की ओर से अधिकृत तौर पर आधार कार्ड बनाने वाले आपरेटर प्रषान्त से सम्पर्क हुआ, जिसके माध्यम से वास्तविक आधार कार्ड साफ्टवेयर का रिमोट एक्सेस प्राप्त कर फर्जी आधार कार्ड भी बनाने लगा। प्रषान्त के अतिरिक्त उसने पष्चिम बंगाल के आधार कार्ड बनाने वाले आपरेटर नोमान, मुजीबुर तथा अमीन के साथ मिलकर फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम किया है। वर्तमान समय में उसके एक लैपटाप पर जन्म, मृत्यु, निवास आदि प्रमाण पत्र बनाने वाला पोर्टल https://domicile.xyz/admin इन्सटॉल है, जिसे लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से खोलने पर एक डैषबोर्ड प्रदर्षित होता है, जिसमें सम्बन्धित ग्रहको का विवरण अंकित कर वांछित प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है। उक्त के एवज में प्रति प्रमाण पत्र 50–100 रूपये उसके बैंक खाते से डेबिट होते है एवं ग्राहको से वह

500–1000 रूपये प्रति प्रमाण पत्र लेता है। इसी प्रकार उसके दूसरे लैपटॉप पर आधार कार्ड बनाने से सम्बन्धित साफ्टवेयर adhar enrolment client/ecmp.cmd इन्सटॉल है। ग्राहक का फर्जी आधार बनाने अथवा नाम व पता परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले पोर्टल https://domicile.xyz/admin के माध्यम से आवष्यतानुसार फर्जी जन्म/निवास प्रमाण पत्र तैयार करता है। उसके बाद कम्प्यूटर पर एनीडेस्क के माध्यम से रिमोट आईडी वाट्सएप नम्बर पर दिल्ली निवासी आकाष नाम के व्यक्ति को भेजता है। आकाष द्वारा उसके कम्प्यूटर सिस्टम में डिपार्टमेन्ट आफ वीमेन एण्ड चाइल्ड डेवलेपमेण्ट उत्तराखण्ड को आवंटित आपरेटर से सम्बन्धित आधार कार्ड के साफ्टवेयर की डेटा फाईल इन्टॉल कर देता है। उक्त डेटा फाइल (साफ्टवेयर) में सम्बन्धित आपरेटर की आईडी, नाम, फोन नम्बर व पासवर्ड डालने पर डैषबोर्ड दर्षित होता है, जिसमें ग्राहक का विवरण डालकर आवष्यक प्रमाण पत्र अपलोड करने पर फर्जी आधार कार्ड तैयार होता है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त नईमुद्दीन द्वारा बताया गया कि वह बेवसाइट https://dccrorgi.co.in/admin पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर फर्जी निवास, जन्म/मृत्यु आदि प्रमाण पत्र तैयार करता है तथा आधार कार्ड बनाने के लिए adhar enrolment client/ecmp.cmd को खोलकर आपरेटर आईडी JEPC_MKS_GIR_NS896988, आपरेटर नेम, फोन नम्बर व पासवर्ड डालने पर डैषबोर्ड प्रदर्षित होता है, जिसमें ग्राहक से सम्बन्धित विवरण अंकित करने एवं सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करने पर आधार कार्ड बनकर तैयार हो जाता हैं, जिसका प्रिन्ट लेकर ग्राहक को सुपुर्द किया जाता है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तो ने बताया कि फिंगर प्रिन्ट एवं आईरिस स्कैनर का इस्तेमाल ग्राहक का बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने में किया जाता है। फर्जी बेवसाइट के माध्यम से काल्पनिक जन्मतिथि एवं निवास के आधार पर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करते है। उक्त प्रमाण पत्र तैयार करने में आवष्यक ग्राम प्रधान, पार्षद एवं राजपत्रित अधिकारी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र स्वयं तैयार करते है, जिनसे सम्बन्धित मोहर आदि जन सुविधा केन्द्र से बरामद भी हुई है। इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर कूटरचित एवं फर्जी आधार कार्ड उनके द्वारा तैयार किया जाता है तथा अनाधिकृत तौर पर आधार कार्ड बनाने के एवज में प्रति माह 50 हजार रूपये अधिकृत आपरेटर को देना पड़ता है।

उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ में मु0अ0सं0 1069/2025 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 342, 111 बी0एन0एस0 एवं 66सी, 66डी, 73, 74 आईटी एक्ट का पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जायेगी

जनपद गोरखपुर/थाना खोराबार

• पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस

• 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनॉकः 05/06.11.2025 की रात्रि थाना खोराबार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त पप्पू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खोराबार पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खोराबार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पप्पू निवासी अहिरौली दुबौली तकिया थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज, बिहार।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• लगभग 30 लाख रूपये कीमत के पीली—सफेद धातु के आभूषण आदि

• चोरी के 01 लाख 98 हजार 472 रूपये नगद बरामद

दिनांक 05.11.2025 को थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर के0के0 ग्रुप बाउण्ड्री वाल लिंक रोड पैडलेगंज के पास से 02 अभियुक्तों 1—मोनू उर्फ

बाबा नायक 2–हसन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि, चोरी के 01 लाख 98 हजार 472 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.11.2025 को थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोनू उर्फ बाबा नायक निवासी भभवली चौराहा सरया थाना मदनपुर जनपद देवरिया, हालपता भरवालिया बुजुर्ग थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।

2–हसन निवासी चौरा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–लगभग 30 लाख रूपये कीमत के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

2–चोरी के 01 लाख 98 हजार 472 रूपये नगद।

जनपद बिजनौर/थाना नगीना

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 05 हजार 800 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में 01 ई–रिक्शा आदि बरामद**

दिनांक 06.11.2025 को थाना नगीना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खुशहालपुर मठेरी रोड के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–साजिद उर्फ बटला 2–नसीम उर्फ कुल्फी घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी की पीली– सफेद धातु के

आभूषण, चोरी के 05 हजार 800 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में 01 ई–रिक्शा आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पाताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.11.2025 को थाना नगीना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त साजिद उर्फ बटला के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग एवं अभियुक्त नसीम उर्फ कुल्फी के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साजिद उर्फ बटला निवासी मो0सरायमीर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2–नसीम उर्फ कुल्फी निवासी मो0लुहारी सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

02–चोरी के 05 हजार 800 रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में 01 ई–रिक्शा आदि।

जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल एवं 03 मोटर साइकिल के पार्टस आदि बरामद**

दिनांक 05/06.11.2025 को थाना कोतवाली शामली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिम्भालका रेलवे अण्डरपास के पास से अभियुक्त अमित को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल एवं 03 मोटर साइकिल के पार्टस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित निवासी ग्राम कांजरहेडी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल एवं 03 मोटर साइकिल के पार्टस आदि।

- **जनपद गोरखपुर/थाना पिपराईच (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना पिपराईच पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त तसलीम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना पुरकाजी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 36 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना पुरकाजी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी/323 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त वसीम को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 36 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना कैण्ट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना कैण्ट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नौशाद अली को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————